यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेज, चौकी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेज, चौकी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड के माह अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील दत्त, श्री मुकेश कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.01.2019 से 21.01.2019 तक श्री एस° के° वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग-I

**1. परिचयात्मकः** इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है, वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**: इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र राजकीय इंटर कालेज, चौकी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड है, इकाई का क्रियाकलाप शैक्षणिक कार्यो का संचालन करना है।

**(ii) (अ) विगत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2018-19 (दिसम्बर 2018) में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

*(रु लाख मे)*

| वर्ष | योजना का नाम (GIC) | आवंटन (रु लाख मे) | व्यय (रु लाख मे) | व्यय अधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 2202 सामान्य शिक्षा | 44.39 | 43.77 | - | 0.62 |
| 2013-14 | 2202 सामान्य शिक्षा | 54.90 | 54.90 | - | - |
| 2014-15 | 2202 सामान्य शिक्षा | 54.70 | 54.70 | - | - |
| 2015-16 | 2202 सामान्य शिक्षा | 47.78 | 47.75 | - | 0.03 |
| 2016-17 | 2202 सामान्य शिक्षा | 58.61 | 58.61 | - | - |
| 2017-18 | 2202 सामान्य शिक्षा | 61.63 | 61.63 | - | - |
| 2018-19 (दिसम्बर 2018 तक) | 2202 सामान्य शिक्षा | 67.33 | 60.57 | - | 6.76 |

**(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

***(रु लाख मे)***

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | आवंटन | व्यय | अंतिम अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | RMSA/SSA/MDM | - | 2.08 | 1.86 | 0.22 |
| 2013-14 | RMSA/SSA/MDM | 0.22 | 1.87 | 1.75 | 0.34 |
| 2014-15 | RMSA/SSA/MDM | 0.34 | 1.52 | 1.43 | 0.43 |
| 2015-16 | RMSA/SSA/MDM | 0.43 | 1.01 | 0.93 | 0.51 |
| 2016-17 | RMSA/SSA/MDM | 0.51 | 1.68 | 1.54 | 0.65 |
| 2017-18 | RMSA/SSA/MDM | 0.65 | 1.58 | 1.59 | 0.64 |
| 2018-19 (सितम्बर 2018 तक) | RMSA/SSA/MDM | 0.64 | 0.78 | 0.69 | 0.73 |

(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन मे संलग्न समितियों एवं एन०जी०ओ का विवरण:

| S.No | Year | Name of Society/ NGO involved | Government expenditure through Society/NGO |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 2015-16 | **सूचना शून्य है** | |
| 2 | 2016-17 | | |
| 3 | 2017-18 | | |
| 4 | 2018-19 (दिसम्बर 2018 तक) | | |

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा संलग्न है।

**(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र राजकीय इंटर कालेज, चौकी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय राजकीय इंटर कालेज चौकी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। व्यय माहों के संबंध मे **रमसा योजना मे मार्च 2013, 2014, 2015, तथा 2017, एम डी एम मे सितम्बर 2012, मई 2013, ओक्टूबर 2016 तथा मई 2017, एस एस ए मे जनवरी**

**2018, मार्च 2016, दिसम्बर 2012 तथा मार्च 2017 एवं विद्यालय अनुदान मे फरवरी 2014, नवम्बर 2012, सितम्बर 2018 एवं जनवरी 2017** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **प्राप्तियों** की विस्तृत जांच हेतु माहों जुलाई 2013, 2014, 2016 एवं 2018 का चयन किया गया था।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971), लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## <u>भाग दो ब</u>

### प्रस्तर 1 : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की संदर्शिका के अनुसार प्रावधानित सामाजिक अंकेक्षण (social audit) की प्रक्रिया का अनुपालन न किया जाना।

सामाजिक अंकेक्षण एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी विद्यालय की वित्तीय , सामाजिक नैतिक तथा अकादेमिक कार्यो की समीक्षा उसके समुदाय के द्वारा की जाती है। समाजिक अंकेक्षण एस एम सी (school management committee) की बैठकों तथा अन्य बैठको मे वित्तीय तथा शैक्षिक पक्षो की जानकारी, वाल पेंटिंग / फ्लेक्सि बोर्ड , पत्र पत्रिकाओं / समाचार पत्रो की सहायता से विद्यालयी क्रिया कलापों का प्रचार- प्रसार, विद्यालयी रिपोर्ट तैयार करने आदि माध्यमों से किया जाता है।

विद्यालय के लेखापरीक्षा (जनवरी 2019) मे अभिलेखो के अवलोकन मे देखा गया कि सामाजिक अंकेक्षण संबंधी प्रतिवेदन / पंजी उपलब्ध नहीं थे।

लेखापरीक्षा मे पुछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि विद्यालय के सेवित क्षेत्र मे प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का गठन किया गया है परंतु इस संबंध मे विद्यालय कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका, विद्यालय मे सामाजिक अंकेक्षण संबंधी कार्यवाही किए जाने का भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका।

अतः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की संदर्शिका के अनुसार प्रावधानित सामाजिक अंकेक्षण (social audit) की प्रक्रिया का अनुपालन न कराये जाने का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

## <u>भाग दो ब</u>

**प्रस्तर 2 : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अनुश्रवण संबंधी प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना।**

माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत कक्षा 9-12 हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संचालित है जिसके माध्यम से सरकार गुणवत्ता युक्त माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु संकल्पित है, इसमे सम्मिलित प्रमुख कार्यो के क्रियान्वयन / संचालन हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति (एस एम सी) तथा विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति (एस एम डी सी) की निम्न महत्वपूर्ण भूमिका है जिनमे प्रमुख हैं:

- अध्यापको की उपस्थिति का अनुश्रवण
- मध्याह्न भोजन योजना का अनुश्रवण
- विद्यालय के पठन पाठन क्रियाओं का अनुश्रवण
- विद्यालय से बाहर रह गए बच्चो का नामांकन कराना
- बच्चो की उपलब्धि मे सतत सुधार हेतु प्रयासो की समीक्षा करना
- अपने विद्यालय की विद्यालय विकास योजना बनाना
- विद्यालय को प्राप्त अनुदानों के उपयोग का अनुश्रवण
- निर्माण कार्यो का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

इकाई की लेखापरीक्षा (जनवरी 2019) मे संबन्धित अभिलेखो की जांच मे देखा गया कि विभिन्न समितियों के गठन संबंधी टिप्पणी तो की गयी थी परंतु अन्य कार्यो के संबंध मे पंजी मे टिप्पणी / साक्ष्य नहीं थे जिससे यह सिद्ध हो सके कि समितियों द्वारा अपेक्षित अनुश्रवण प्रभावी ढंग से किए गए हों। बैठको का कार्यवृत भी उल्लिखित नहीं था । सभी सदस्यो के बैठक मे शामिल होने के साक्ष्य के रूप मे सभी के हस्ताक्षर पंजी मे उपलब्ध नहीं थे। प्रावधान के अनुसार समितियों की बैठक प्रत्येक तीसरे माह मे नहीं आयोजित की जा रही थी।

लेखा परीक्षा मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि विद्यालय से बाहर रह गए छात्रों के संबंध मे कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। पठन पाठन के अनुश्रवण तथा एस एम सी / एस एम डी सी की प्रत्येक तिमाही बैठक का आयोजन संबंधी प्रावधान अनुपालित किए जाएंगे ।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

## <u>भाग दो ब</u>

**प्रस्तर 3 : शिक्षा के अधिकार अधिनियम – 2009 के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना ।**

शिक्षा के अधिकार अधिनियम – 2009 की धारा 19 (1) के अनुसार अनुसूची मे उल्लिखित विद्यालयो हेतु न्यूनतम कार्य दिवस एवं अध्यापको के लिए प्रति सप्ताह कार्यकारी घंटो का निर्धारण किए गए है।

अतिरिक्त घंटो मे कार्य करने के उपरांत शिक्षक पाठ्य योजनाओ का निर्माण, विद्यालय विकास योजना निर्माण, क्रियात्मक शोध, बच्चो को दिये गए गृह कार्यो एवं उत्तर पुस्तिकाओ का परीक्षण, बच्चो से संबन्धित समस्याओं (अनुपस्थित रहना, अस्वाभाविक व्यवहार, शैक्षिक संप्राप्ति स्तर प्राप्त न होना) के कारण जानने के लिए बच्चो के माता पिता / अभिभावकों / क्षेत्रीय समुदाय से सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रयास करेंगे। माह के अंतिम सप्ताह मे शिक्षक अभिभावकों की बैठक भी अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी तथा विवरण पंजिका मे उल्लिखित किए जाएंगे।

इकाई की लेखापरीक्षा मे उक्त के अनुपालन के संबंध मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित किए जाते है तथा अन्य प्रावधानों के अनुपालन भविष्य मे सुनिश्चित किए जाएंगे।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

## भाग-III

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर | भाग-II 'ब' प्रस्तर | स्टैन |
|---|---|---|---|
| इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है | | | |

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है | | | | |

## भाग-IV

### इकाई के सर्वोत्तम कार्य:

--------------शून्य-----------

## भाग-V

## आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेज, चौकी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड तथा उनके अन्य कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

**-शून्य-**

**सतत् अनियमितताएः**

**-शून्य-**

2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया था:

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री वीरेंद्र सिंह बर्थवाल | प्रधानाचार्य | 26 फरवरी 2011 से 09.01.2015 तक |
| 2. | श्री प्रियतम सिंह नेगी | प्रभारी | 10.01.2015 से 23.08.2015 तक |
| 3. | श्री उम्मेद सिंह राणा | प्रधानाचार्य | 24.08.2015 से 31.03.2017 तक |
| 4. | श्री प्रियतम सिंह नेगी | प्रभारी | 01.04. 2017 से अद्यतन |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेज, चौकी टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाये।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.**